

सि.स. नं. अ.स.के.स.के.स.
मुकदमा नंबर 35/18
वादी 15718

बैसलाना

रामलाल पुत्र जीवण जाति शुर्जर नि. सुण्डे का
वास बैसलाना तह. कि. रेनवाल

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88.89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न

प्रकार है -
ग्राम सुण्डे का वास बैसलाना पटवार हल्का बैसलाना तहसील कि. रेनवाल
के आराजी खसरा नम्बर 1562/36

में वादी का नाम व विवरण रामू पुत्र जीवण जाति शुर्जर

के स्थान पर

रामू पुत्र रामलाल पुत्र जीवण जाति शुर्जर

पर दुरस्त किया जावें।


उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

वर्तमान प्रविष्टि

राष्ट्रीय आवेदन शत प्रविष्टि

रामू पुत्र जीवण जाति
गुर्जर शैव जमा. कर.

शमलाल पुत्र जीवण
जाति गुर्जर शैव
जमा- कठसूट



सत्यमेव जयते

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावें।

09/5/18
सहायक कलेक्टर / उपखंड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)
NAD
महला का